

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर संस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक...

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	मेनका देवी पति—भोला कुमार सिंह ग्राम—फतेहपुर पकड़ी पो०—पिरोई थाना—महुआ जिला वैशाली एम०सी०एस—एफ 92971	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	पुनम देवी पति—अरविन्द कुमार ग्राम—मलमाचक पो०—मसौड़ी थाना मसौड़ी जिला पटना एम०सी०एस—ई० 33549	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
3	सुरेश ठाकुर पिता—भोला ठाकुर ग्राम+पो०—बरियारपुर थाना—सकरा जिला—मुजफ्फरपुर एम०सी०एस—एफ 92382	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सुरेश सिंह पिता— गरीबन सिंह ग्राम—बाबुगज पोस्ट+थाना तिलौथु जिला रोहतास एम०सी०एस—एफ 92543	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अब्दुल सलाम मियाँ पिता-जान मोहम्मद मियाँ ग्राम-धनरपा पो0-राम नगर थाना-राम नगर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 93440	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	शिव बालक यादव पिता- राम सिंगार यादव ग्राम+पो0 सौनाहा थाना-पलनवा जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 91624	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	विमला देवी पति-बैजनाथ सिंह ग्राम+पो0-नदलालपुर थाना-कहलगाव जिला भागलपुर एम0सी0एस-एफ 76678	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	जयमाला देवी पति-नरेश प्रसाद मंडल ग्राम-नत्थन टोला पो0+थाना चौसा जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 82022	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सेहरा खातुन पति-इसराफिल असारी ग्राम-सिसवा सोब पो0-बहलोलपुर थाना-कल्याणपुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 77387	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
10	अरुण कुमार यादव पिता-पन्ना लाल राय ग्राम+पो0-कुदारकट थाना-छोडादानो जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 93167	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सुशीला देवी पति-राम शरण सिंह ग्राम-धरहरा पो0-धरहरा थाना-गोपालपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस- एफ 42932	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	राम दयाल महतो पिता-मिश्री महतो ग्राम-मालसलामी चाय टोला पो0-झाउगज थाना-मालसलामी जिला पटना एम0सी0एस-एफ 90891	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
13	पुनम देवी पति-चन्द्रशेखर सिंह ग्राम+पो0-ढेलवा थाना रामकृष्ण नगर जिला पटना एम0सी0एस-एफ 90829	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	मुन्ना भट्ट पिता-विद्या भट्ट ग्राम+पो0-बालबध थाना-चरपोखरी जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 91288	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
15	राजेश्वर प्रसाद सिंह पिता-राम वृक्ष सिंह ग्राम+पो0-उस्मानचक थाना मसौढी जिला-पटना एम0सी0एस- 91604	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
16	सरिता देवी पति-बच्चु सिंह ग्राम-खिरियावा पो0-अमावा थाना मगध मेडिकल जिला गया एम0सी0एस- 34235	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
17	मीना देवी पति-गुलो प्रसाद यादव ग्राम-रामपुर अलौली पो0+थाना-अलौली जिला-खगडिया एम0सी0एस- एफ 75909	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
18	चन्द्रशेखर कुमार केसरी पिता-मनी लाल प्रसाद केसरी ग्राम-ब्लौक रोड रक्सौल पो0+थाना-रक्सौल जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-ई0 36271	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

19	निशा देवी पति-मुरलीधर साह ग्राम-महादेवापुर पो0-घोघा थाना-सन्हौला जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 68693	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	निधी कुमारी पिता-शशिनाथ कुमार राय ग्राम-हेतनपुर पो0-हेतनपुर थाना-शाहपुर पटोरी जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 85149	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	पाना देवी पति-हरेन्द्र दास ग्राम-इनरवा पो0-सगुहा भवानीपुर थाना-कगला जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 87411	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	दुर्गा देवी पति-धनजय प्रसाद ग्राम-लोहानीपुर पो0+थाना-कदमकुआ जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 53272	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
23	मणी देवी पति-हरेन्द्र प्रसाद ग्राम-कोईलवर वार्ड 2 पो0-कोईलवर थाना-कोईलवर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 91979	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	अमीषा कुमारी पिता नागमणी कुमार ग्राम-केशो बिगहा पो0-पूरा थाना-टिकारी जिला-गया एम0सी0एस-एफ 92921	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	धर्मेन्द्र राय पिता-सुरेश राय ग्राम+पो0 बेला थाना-दरियापुर जिला सारण एम0सी0एस-एफ 91911	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	प्रितम कुमार पिता-रविन्द्र कुमार चौहान ग्राम-जनारो पो0-करजारा थाना-वेन जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 85561	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मीरा देवी पति-प्रकाश मडल ग्राम+पो0 काशरी थाना-अतीचक जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 91168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	अनिल पासवान पिता-सुरेश पासवान ग्राम-बकिया पो0-फरेह थाना-चौथम जिला खगडिया एम0सी0एस-एफ 92214	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	अभिमन्यु कुमार पिता-सत्येन्द्र कुमार सिंह ग्राम-चकबारा पो0- बारा चकिया थाना-पीपरा जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 61227	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	सत्यम कुमार पिता-चन्दन कुमार ग्राम+पो0-बभनी थाना गम्हरीया जिला- मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 92353	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	पुजा देवी पति-रवि कुमार ग्राम-सादिकपुर मछुआ टोली पो0-गुलजारबाग थाना-आलमगज जिला पटना एम0सी0एस-एफ 83116	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	देवन्ती देवी पति-लाल बाबु साव ग्राम-भभौल पो0-डिहरी थाना-पिपरा जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 89018	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
33	अशोक यादव पिता-शिव बालक यादव ग्राम+पो0 बराह थाना-हरनौत जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 90514	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

34	महेन्द्र रविदास पिता-रामयतन रविदास ग्राम-नीमा पो0-नदवा थाना-धनरुआ जिला पटना एम0सी0एस-एफ 88505	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
35	शकील अहमद पिता-स्व0 शेख शम्सुद्दीन ग्राम-कोडर पो0-पी भगवानपुर थाना- थावे जिला-गोपालगंज एम0सी0एस-एफ 93363	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
36	सुरेश महतो पिता-शकर महतो ग्राम+पो0-चौहट्टा थाना-मानपुर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 78560	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	हरेन्द्र साह पिता-स्व0 पवितर साह ग्राम-डुमरसन पो0-डुमरसन बगरा थाना-मशरक जिला सारण एम0सी0एस-एफ 92182	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	बीबी रुखसाना खातुन पति-मो0 आफताब आलम ग्राम-देवधा पो0-गरबनाइली थाना-कसबा जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 84126	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
39	शनिचरी देवी पति-नकुल प्रसाद सिंह ग्राम-बनिया पो0-भवानीपुर थाना-रगरा ओ0पी0 जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 89963	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	राम सेवक राम पिता-स्व0 सुरज राम ग्राम-रोटगन्ना पो0-चोरा टभका थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 92969	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

41	रामजी राय पिता-महादेव राय ग्राम-बिशुनपुर पल्हु पो0-मदरना थाना-जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 93342	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	आनन्द कुमार पिता-विलाश चौधरी ग्राम-मसुदा पो0-वारसलिंगज थाना-वारसलिंगज जिला नवादा एम0सी0एस-एफ 92358	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	कमलदेव सिंह पिता-मौजी सिंह ग्राम+पो0-मडरा थाना-रोह जिला नवादा एम0सी0एस-एफ 91637	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
44	देविया देवी पति-सुलेन्द्र राय ग्राम धर्मपुर राम राय पो0-ममरेजपुर थाना-देसरी जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 38274	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	मीना देवी पति-मनोज कुमार ग्राम-सलेमपुर पो0+थाना-परैया जिला-गया एम0सी0एस- एफ 58545	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
46	ललिता देवी पति-भीम लाल मेहता ग्राम-भवानीपुर पो0-बी0 के0 स्थान थाना-के0 नगर जिला पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 81200	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	हुस्ना खातुन पति-मो0 इदरीश ग्राम-लालखा टोला पो0-बेलौरी थाना-मुफरिसल जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 89993	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

48	प्रवीण बेगम पति-तसलीमउद्दीन ग्राम-सुन्दरबारी जागिर टोला पो0-सोथा थाना कोचाधामन जिला-किशनगज एम0सी0एस-एफ 43320	बोन मैरो ट्रास्प्लान्ट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
49	मीना कुमारी पति-अनील कुमार ग्राम-लाट पो0+थाना-हुलासगज जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 36029	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
50	ओपिन्दर दास पिता-रामदेव दास ग्राम-सिधौल पो0-उल्ला थाना-मुफसिल जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 88632	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	छोटे लाल चौरसिया पिता-श्यामदेव चौरसिया ग्राम+पो0-नवादा थाना-बरौली जिला गोपालगज एम0सी0एस-एफ 61282	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
52	मुन्नी देवी पति-प्रकाश पाण्डेय ग्राम-अन्दौली पोस्ट+थाना-चेवारा जिला-शेखपुरा एम0सी0एस-एफ 92675	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	निक्की देवी पति-चन्द्र भुषण सिंह ग्राम-पुपरी उर्फ नुरिपुर पो0-दरियापुर कफेन थाना तुर्की ओ0पी0 जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 93410	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	मधुमाला देवी पति-गंगा राम पासवान ग्राम-राटन पो0-बगरस थाना-बखरी पुलिस स्टेशन जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 91758	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

55	कोकली कुमार पिता-तेतर मडल ग्राम-लक्ष्मीपुर नारायणपुर पो0-इस्माईलपुर थाना-इस्माईलपुर जिला भागलपुर एम0सी0एस-एफ 90446	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	अमित कुमार पिता-किरण साह ग्राम-नावाडीह पो0-टेलवा बाजार थाना-सिमुलतला जिला-जमुई एम0सी0एस-एफ 93625	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	कमला देवी पति-भिखारी सिंह ग्राम-रन्नी पो0-मरहोद थाना-दिनारा जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 93023	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	रामाशीष सिंह पिता-स्व मुन्द्रिका प्रसाद सिंह ग्राम-कृष्णापुरी पो0-वारिसलिंगज थाना-वारसलिंगज जिला-नवादा एम0सी0एस-एफ 33055	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
59	उमा देवी पति- लाल जी राय ग्राम-अफौर रामाचौरा पो0-अफौर थाना-खैरा जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 91488	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	पार्वती देवी पति-विजेन्द्र शर्मा ग्राम-मोहनिया नव टोलीया वार्ड 14 पो0-मोहनिया चकला थाना-बनमनखी जिला पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 91438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	रुकमीणी देवी पति-स्व0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ग्राम-चेरिया बरियारपुर वार्ड 07 पो0-श्रीपूर थाना चेरिया बरियारपुर जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 93089	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

62	उमाशकर प्रसाद पिता-स्व० राम ध्यान ग्राम-घुसक टोला पो०-खगौल थाना-शाहपुर जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 90666	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	अभिमन्यु प्रसाद सिंह पिता-बिन्देश्वरी सिंह ग्राम+पो०-भेल्दी थाना-भेल्दी जिला-सारण एम०सी०एस-एफ 92187	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	विजय कुमार पिता-स्व० शम्भु यादव ग्राम-चक्किबदा गली पो०-अनीसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला पटना एम०सी०एस-एफ 92396	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	बिरेन्द्र कुमार पिता-गजेन्द्र विश्वास ग्राम-झउरा पो०-रहरिया थाना-निर्मली जिला सुपौल एम०सी०एस-एफ 6822	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
66	राजमती देवी पति-गणेश साह ग्राम-बसतपुर पो०-कुडवा चौनपुर थाना-कुडवा जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-एफ 93200	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	सजय भगत पिता-रामकृत भगत ग्राम-पो० रामपुरडीह थाना-बिशनपुर जिला-दरभंगा एम०सी०एस-एफ 93127	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	आदर्श राज पिता-अनिल कुमार चौधरी ग्राम-सीज टोला गुरुमेला पो०-गुरुमेला थाना-बरारी जिला-कटिहार एम०सी०एस-एफ 91977	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

69	आशा देवी पति-वरुण यादव ग्राम+पो0 पोठीया थाना-फलका जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 30509	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
70	आलोक कुमार पिता-यमुना प्रसाद ग्राम-मपबाघ पो0-कचहरी थाना-टाउन जिला भोजपुर एम0सी0एस-एफ 93171	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	श्रीकान्त झा पिता-स्व0 तिलेश्वर झा ग्राम-महमदी पो0-सरैया गोपाल थाना पताही जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 92326	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	मजु देवी पति-विष्णु ठाकुर ग्राम-चिरैया पो0-बराही जगदीश थाना-पुरनहीया जिला शिवहर एम0सी0एस-एफ 77619	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
73	सुशीला देवी पति-विजय महतो ग्राम-रुसतमपुर पो0-समरीगढ थाना-रोह जिला-नवादा एम0सी0एस- एफ 18346	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
74	हरीनन्दन साह पिता-स्व0 सुबेदार साह ग्राम+पो0-नोनार थाना-पिरो जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 91645	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
75	निकिता कुमारी पिता लाल बाबु सिंह ग्राम-नयका बडका बैजु टोला पो0-रिविलगज थाना-रिविलगज जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 73446	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

76	गुडिया देवी पति-राकेश कुमार ग्राम-लकिया पर गोंधी मुर्ती पो0-दीघा थाना-दानापुर जिला पटना एम0सी0एस-एफ 40471	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
77	तेतरी देवी पति-दामोदर यादव ग्राम-मौला बाग आरा पो0-आरा थाना नवादा जिला भोजपुर एम0सी0एस-एफ 64697	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	धीरज कुमार साह पिता-अशोक साह ग्राम-गोंधी टोला वाधगमार पो0+थाना-मनिहारी जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 85396	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	देवेन्द्र प्रसाद साव पिता-शिव साव ग्राम-मुलछारी ताल बडी खगौल पो0+थाना खगौल जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 92468	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	ममता देवी पति-अशोक यादव ग्राम-बिशनपुर पो0-पीपरा थाना-जोगबनी जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 59622	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	राज कुमार ठाकुर पिता-लोचन ठाकुर ग्राम-भलुआही पो0-जनार्दनपुर थाना-मरौना जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 29202	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
82	ललित कुमार पति-गिरजा शकर साव ग्राम-दुल्हिन बाजार सरकारी हौस्पिटल के सामने पो0-बेल्हौरी थाना-दुल्हिन बाजार जिला पटना एम0सी0एस-एफ 62430	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

83	तेतरी देवी पति-सतोष महतो ग्राम-लुटौत पो0-छठियारा थाना करडे जिला शेखपुरा एम0सी0एस-एफ 82285	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	मनोज कुमार पिता-स्व0 किशोरी राम ग्राम-मोजाहीदपुर पो0-एकगरसराय थाना-एकगरसराय जिला-नालदा एम0सी0एस-एफ 85805	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
85	सगीता देवी पति-नित्यानंद मडल ग्राम-खण्ड बिहारी पो0-रतैठा थाना-हवेली खडगपुर जिला मुगेर एम0सी0एस-एफ 46617	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
86	सुरेश झा पिता- हरिदेव झा ग्राम-करमनिया पो-बलजोरा थाना-त्रिवेणीगज जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 92632	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	रजु देवी पति-श्यामधर राय ग्राम-अहियारी गोट पो0-अहियारी थाना कमतोल जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 86993	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	मीरा देवी पति-किशोर शर्मा ग्राम- बैदनचक पो0+थाना-अमरपुर जिला-बाका एम0सी0एस-एफ 60502	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
89	तिलिया देवी पति-राजु साह ग्राम-बलहा पो0-बलहा थाना+जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 89347	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

90	नीजु देवी पति-सुबोध चौधरी ग्राम-मेहा पो0-डंडारी थाना-डंडारी जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 93948	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	भुनेश्वर यादव पिता-स्व0 धातुरी यादव ग्राम-कल्याण टोला रहिया पो0+थाना-बरियारपुर जिला मुगेर एम0सी0एस-एफ 88915	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	बिदी देवी पति-विलट महतो ग्राम-बगराहा पो0-बसुआरी थाना-घोघरडीहा जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 69545	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	जागमती देवी पति-राम बिजय प्रसाद ग्राम-पटेल पथ वार्ड 12 पो0+थाना-रक्सौल जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस0-एफ 86671	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	हरी लाल साह पिता-स्व0 सुरज साह ग्राम-चकले वैनी पोस्ट-वैनी थाना-वैनी ओ0पी0 जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस0-एफ 89947	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
95	दिनेश यादव पिता-शिवजी यादव ग्राम-खरौनी पोस्ट-बारा खरौनी थाना-बिहिया जिला-भोजपुर एम0सी0एस0-एफ 40310	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	ज्ञान्ती देवी पति-सुरेश सिंह ग्राम-नबाबगज पो-नबाबगज थाना-मनिहारी जिला-कटिहार एम0सी0एस0-एफ 90955	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

97	उमेश महतो पिता-ठेका महतो ग्राम-धारीपुर पो0-हराजी थाना-अवतार नगर जिला-सारण एम0सी0एस0-एफ 91062	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	रेणु राय पति-जयचंद राय ग्राम+पोस्ट-नाथपुर थाना-नरपतगज जिला-अररिया एम0सी0एस0-एफ 78365	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	साभा देवी पति-बिपिन बिहारी उपाध्याय ग्राम-भोभीचक पो0-नेचुआ जलालपुर थाना-कुचाय कोट जिला-गोपालगज एम0सी0एस0-एफ 91179	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	निर्मला देवी पति-राम लखन प्रसाद ग्राम-लखनपुरा पो0-चौद चौरा थाना-विष्णुपद जिला-गया एम0सी0एस0-एफ 39650	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
101	राम नरेश सिंह पिता-स्व0 अमीरी सिंह ग्राम-बलहा मनोरथ पो0-रसलपुर थाना-बाजपट्टी जिला-सीतामढी एम0सी0एस0-ई0 66092	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
102	राज कुमार राजु पिता-दया लाल मडल ग्राम-तितलियौ मौधो पो0-मौधो थाना-कोचाधामन जिला-किशनगज एम0सी0एस0-ई0 88731	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
103	रमेश महतो पिता-स्व0 श्री महतो ग्राम-जमालदीपुर पो0-मसुरचक थाना-मसुरचक ओ0पी0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस0-एफ 90590	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

104	तबस्सुम बेगम पति-एजाज अहमद ग्राम-तिलौथु पो0+थाना-तिलौथु जिला-रोहतास एम0सी0एस0-एफ 69022	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
105	जय नारायण साह पिता रामोतार साह ग्राम-समौरा पो0-उसडी थाना-कुशेश्वर स्थान जिला-दरभंगा एम0सी0एस0-एफ 75550	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
106	सजु देवी पति-विजय प्रसाद ग्राम-केपीलेन कबीर बाग गया पो0-हेड पोस्टआफिस थाना-कोतवाली जिला-गया एम0सी0एस0-एफ 91750	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	अखिलेश कुमार पिता-दीनानाथ ग्राम-कुजी कोठिया विकास नगर रोडन0-11 पो0-सदाकत आश्रम थाना-दीघा जिला-पटना एम0सी0एस0-एफ 75986	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
108	दिलिप कुमार पाण्डेय पिता-योगेन्द्र पाण्डेय ग्राम+पो0-मडाच्छ थाना-तेलहारा जिला-नालदा एम0सी0एस0-एफ 80430	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
109	रजु देवी पति-मिथलेश साहु ग्राम+पो0-आधारपुर थाना घनश्यामपुर जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 85660	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
110	सगीता देवी पति-चन्द्रिका ठाकुर ग्राम-वार्ड न0 8 भगवतीया केसरीया, पो0-भगवतीया थाना-केसरीया पी0एस0 जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 72100	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

111	आशा देवी पति-मोती महतो ग्राम- दिपउ वार्ड 02 पो0-टलवा पोखरा थाना-कोटवा जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 92032	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	रीता देवी पति-विरसेन सिंह ग्राम-'पितवॉस पो0-पितवॉस थाना-नौबतपुर जिला-पटना एम0सी0एस0-एफ 93573	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	शिवाणी कुमारी पिता राकेश कुमार ग्राम-झालुचक पो0-परमानंदपुर थाना-शभुगज जिला-बाका एम0सी0एस0-एफ 93354	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	झगटु कुमार पिता-राजनाथ बिद ग्राम-डारीडीह पो0-दरौली थाना-भभुआ जिला कैमुर, भभुआ एम0सी0एस0-एफ 92360	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	जगरनाथ राय पिता-जामुन राय ग्राम-पानापुर डेढ बिगहिया पो0-सरमस्तपुर थाना-महनार जिला वैशाली एम0सी0एस0-एफ 91988	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	कमलावती देवी पति-रमेश प्रसाद ग्राम-अमैठी खुर्द 08 पो0-वी0एस0 मील थाना-थावे जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 73266	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
117	सावित्री देवी पति-राजो पासवान ग्राम-लालपुर पो0-तरहरी थाना-हलसी जिला-लखीसराय एम0सी0एस-एफ 68465	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

118	अरविन्द पासवान पिता-युगल पासवान ग्राम-नारायणपुर डढिया पो0-शम्भुपट्टी थाना-मुफसिल जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 91600	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	शकर पासवान पिता-परमेश्वर पासवान ग्राम-बल्लोपुर पो0-बेलछी थाना-हलसी जिला-लखीसराय एम0सी0एस-एफ 90292	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	मास्टर अनुराग कुमार ठाकुर पिता-अनिल कुमार ठाकुर ग्राम+पो0-बनौली थाना-सिमरी जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 93045	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	चदन कुमार पिता-उमेश ठाकुर ग्राम+पो0-मखदुमपुर थाना-टनकुप्पा जिला-गया एम0सी0एस-एफ 91078	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	शबनम बानो पति-मो0 जलील ग्राम-मिर्जापुर बरदह पो0-दरियापुर थाना-मुफसिल जिला मुर्गेर एम0सी0एस-एफ 91509	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
123	पिकी देवी पति-रमाकान्त सिंह ग्राम-रामदीरी रामनगर पो0-रामदीरी थाना-मटीहानी पी0एस0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 90389	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
124	सुधा देवी पति-सुखदेव ठाकुर ग्राम-गायत्री नगर वार्ड 14 पो0-कुरथौल थाना-परसा बाजार जिला पटना एम0सी0एस-एफ 25725	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

125	पिकी देवी पति-बिनोद मडल ग्राम-दीवानडीह पो0-पदई थाना कोढा जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 67721	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	कुदन कुमार पिता-जनार्दन राय ग्राम+पो0-चकसाहो थाना-शाहपुर पटोरी जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 86917	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	काति देवी पति-त्रिवेणी चौधरी ग्राम-सिमरी पो0-सिमरी थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 89955	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	बीना देवी पति-सदानंद मडल ग्राम-महत नगर बरमसिया पो0-कटिहार थाना-सहायक जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 66687	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
129	फेका खातुन पति-कमालउद्दीन ग्राम-बदी पो0-मनीयारा थाना-नीमचक बथानी जिला-गया एम0सी0एस-एफ 91107	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
130	बबली देवी पति-अनिल कुमार तिवारी ग्राम-जनेरवा पो0-अरेराज थाना-अरेराज ओ0पी0 जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 93813	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
131	सरोज कुमार राम पिता-रामदेव राम ग्राम-गोपालपुर पो0+थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 91848	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
132	चदन कुमार पिता-जगदीश राय ग्राम-नजरमीरा पो0-सोनपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 70803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

133	जगदीश प्रसाद सिंह पिता- गोशाई महतो ग्राम+पो0- हरभगा थाना- आर0एस0 जिला- मधुबनी एमसीएस न0 एफ 92604	कैंसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
			99,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 99,40,000/- (निन्यानवें लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 19.6892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1214(14)

पटना, दिनांक 07/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 19.6892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सा रत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राकेश कुमार पिता- शमू राम ग्राम- संघतपर वार्ड 16 पो0+थाना- मसौड़ी जिला- पटना सीआर न0- 108112500410310	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मजू देवी पति- स्व0 लखन यादव ग्राम- दरगाही टोला वार्ड 01 पो0+थाना- हथदह जिला- पटना सीआर न0- 108112401167683	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	परमिला देवी पति- दिनेश राय ग्राम- हटवरिया वार्ड 14 पो0- हटवरिया थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न0- 108112500848358	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सरिता देवी पति- कल्याण झा ग्राम- सुजा वार्ड 15 पो0- सुजा थाना- मुफ्फसिल जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112500814313	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मीरा सिंह पति- उमेश पाडेय ग्राम- गणेशपुर पो0- बभनगामा थाना- रिगा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112500690592	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	विन्देश्वरी यादव पिता- जामुन यादव ग्राम- इनरवा पो0+थाना- घौलाढ जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112500522673	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	आशा देवी पति- उमेश मोदी ग्राम- गौरीपुर वार्ड 05 पो0+थाना- सिहेश्वर जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112500733470	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	इन्दु देवी पति- जयप्रकाश यादव ग्राम- बलुआ वार्ड 05 पो0- बलुआ थाना- गुठनी जिला- सिवान सीआर न0- 10811230009631	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रम्भा देवी पति- मदन प्रसाद भगत ग्राम+पो0- छोटकी बढौना थाना- चौसा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112500676778	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	पारो देवी पति- सजीव कुमार ग्राम- ईटहरी वार्ड 08 पो0- ईटहरी थाना- बनमा इटहरी जिला- सहरसा सीआर न0- 108112500545070	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	उर्मिला देवी पति- विपिन मंडल ग्राम- बेलटिकरी पो0- सबलपुर थाना- पजवारा जिला- बाका सीआर न0- 108112403643229	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	जीतेन्द्र राम पिता- मनभरन राम ग्राम- अमहरा पो0- निखती कलां थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान सीआर न0- 108112500743041	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	योगेंद्र राय पिता- स्व0 राम चद्र राय ग्राम- जगदीशपुर पो0- करनौल थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112300576442	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सजय कुमार मडल पिता- विजय मडल ग्राम+पो0- जोगियारा थाना- जाले जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112301256573	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सुरेश राय पिता- जगन्नाथ रायग्राम- महुआ सिह राय वार्ड 13 पो0+थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112300498875	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मोती राय पिता- सुखल राय ग्राम+पो0- भादा थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500229704	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	आर्यन राज पिता- मुकेश रजक ग्राम- पुरन्दरपुर भरत लाल टेट हाउस नियर हनुमान मंदिर वार्ड 18 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112300846237	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	तानुक यादव पिता- वेशुदेओ यादव ग्राम- नवटोलिया वार्ड 12 पो0+थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112402394527	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	भोला पासवान पिता- चदेश्वर पासवान ग्राम+पो0- परहरपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500934378	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। ●
20	सत्येन्द्र कुमार पिता- जयराम महतो ग्राम- गगटी पो0- मलहद थाना- बंदेया जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112500382154	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	बबिता देवी पति- ललन राम ग्राम- कुमारी वार्ड 10 पो0- बेरी थाना- के अस्थान जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112500249233	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	गुलाब साह पिता- रामनारायण साह ग्राम- मानी पो0- भुस्कौल थाना- सदर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112403665109	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	सीता देवी पति- गजेद्र मडल ग्राम- मोरसंडा वार्ड 01 पो0- चादपुर थाना- कुर्सेला जिला- कटिहार सीआर न0- 108112300058832	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मजू देवी पति- श्रीदेव प्रसाद यादव ग्राम+पो0- सैदपुर थाना- मानसी जिला- खगडिया सीआर न0- 108112500282958	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	उपेन्द्र साहू पिता- मिश्रीलाल साहू ग्राम+पो0- सुसारी थाना- बहेरी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112500878545	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	दरपानी देवी पति- सुरज महतो ग्राम- रूपनछाप वार्ड 03 पो0- रूपनछाप थाना- बरौली जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112403452610	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मुस्कान कुमारी पिता- सुरेद्र पासवान ग्राम- बियावानी वार्ड 05 पो0- मधरा थाना- दीपनगर जिला- नालदा सीआर न0- 108112500474229	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	कचन देवी पति- रौशन यादव ग्राम- बकुआ वार्ड 04 पो0- भरगामा थाना- भेजा जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112500792778	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	साविता देवी पति- बीरेद्र कुमार सिन्हा ग्राम- सिमरबनी वार्ड 08 पो0- सिमरबनी थाना- नरपतगंज जिला- अररिया सीआर न0- 108112301214706	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	जानकी देवी पति- धर्मजीत भगत ग्राम+पो0- रामकृष्ण दुबियारी थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112403412022	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	शकर महतो पिता- देवन महतो ग्राम- बसावन चक वार्ड 04 पो0- दौलतपुर थाना- भदौर जिला- पटना सीआर न0- 108112500720815	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	अकलदेव शर्मा पिता- महिद्र शर्मा ग्राम- खेसराही वार्ड 03 पो0- खेसराही थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500484194	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	सुपरप्योर राज पिता- उमेश बिन्द ग्राम- बेल्दरिया वार्ड 04 पो0- गोपालपुर थाना- बारसलीगज जिला- नवादा सीआर नं0- 108112500462506	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	दिप नारायण यादव पिता- थगु यादव ग्राम+पो0- रसौक थना- मोरकाही जिला- खगडिया सीआर न0- 108112402127154	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	मटू कुम्हार पिता- ललन कुम्हार ग्राम- रामदथी पो0- प्रसौदा थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर सीआर नं0- 108112403674159	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	रामरतन सिंह पिता- नरेश सिंह ग्राम- शुम्भा वार्ड 09 पो0- शुम्भा थाना- अलौली जिला- खगडिया सीआर न0- 108112500535872	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
37	बिरजू चौधरी पिता- किशुन चौधरी ग्राम- डीह मकनपुर वार्ड 12 पो0- केवटी थाना- बरबीघा जिला- शेखपुरा सीआर न0- 108112500516291	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
38	राम रति देवी पिता- नन्द किशोर राम ग्राम- बहिलवारा भुआल वार्ड 04 पो0- बहिलवारा भुआल थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112403432899	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
39	विमला देवी पति- नन्द किशोर सिंह ग्राम- पुनौरा वार्ड 05 पो0+थाना- पुनौरा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112402061137	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

40	सगीता देवी पति- अरुण कुमार यादव ग्राम- हरदिया वार्ड 09 पो0+थाना- भोरे जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112300045501	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
41	दायमति देवी पति- रामचंद्र साह ग्राम- बिशनपुर वार्ड 05 पो0- मानोपुर थाना- भगवानपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112500885482	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
42	बैजती देवी पति- हरेन्द्र सिंह ग्राम- एडौरा पो0- दुलारपुर थाना- उदवत नगर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112402412444	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
43	योगेद्र राय पिता- पालधारी राय ग्राम- बदी वार्ड 02 पो0- शाहपुर पट्टी थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112402919492	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
44	सजय कुमार दास पिता- सौखी लाल दास ग्राम+पो0- रामपुर थाना- फारबिसगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112500917007	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
45	अमला देवी पति- सीताराम ताती ग्राम- बीरपुर वार्ड 07 पो0- हसनपुर शुगर मिल्स थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112402555334	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।
46	तहमीना खातून पति- शाहनवाज ग्राम- दौदागी पो0- लोहगारा थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज सीआर न0- 108112500910177	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत ।

47	उषा देवी पति— उमेश साह ग्राम— खरहट वार्ड 08 पो0— फुलमालीक थाना— साहेबपुर कमाल जिला— बेगूसराय सीआर न0— 108112500366809	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
48	शिवकुमारी देवी पति— सुरेद्र पासवान ग्राम— शेरपुर जलाल वार्ड 01 पो0— अबवाकरपुर थाना— गोरौल जिला— वैशाली सीआर न0— 108112300331156	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
49	क्रांति देवी पति— मंजेश मडल ग्राम+पो0— मरुई थाना— पातेपुर जिला— वैशाली सीआर न0— 108112300989593	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
50	अफरोज प्रवीण पति— मो0 सफीक ग्राम— योगीराज वार्ड 08 पो0— नयाटोला थाना— पुरैनी जिला— मधेपुरा सीआर न0— 108112500324928	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
51	श्रीराम राय पिता— सुदामा राय ग्राम— मलाव पो0— सखरा थाना— राजपुर जिला— रोहतास सीआर न0— 108112402344171	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
52	बेबी देवी पति— हरिशकर प्रसाद केशरी ग्राम— पकडी दयाल वार्ड 07 पो0+थाना— पकडीदयाल जिला— पूर्वी चम्पारण सीआर न0— 108112400715954	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
53	रजीत कुमार पिता— रामकिशुन महतो ग्राम— चकहमीद वार्ड 05 पो0— चकहमीद थाना— बखरी जिला— बेगूसराय सीआर न0— 108112401225942	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

54	मीना देवी पति- महेशी महतो ग्राम- पचटकी यदु वार्ड 08 पो0- पचटकी यदु थाना- बैरगनिया जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112301251717	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
55	चपा देवी पति- रघुनाथ ठाकुर ग्राम- बासूचक वार्ड 15 पो0+थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112403585024	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
56	मो0 जाबीर पिता- मो ऐनुद्दीन ग्राम- कठोतिया पो0- जगदीशपुर थाना- बरारी जिला- कटिहार सीआर न0- 108112500756399	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
57	मो0 मसूर हजाम पिता- मो0 हमीद राजा ग्राम- भैरो कोठी वार्ड 04 पो0- भूप भैरो थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112300565882	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
58	शारदा देवी पति- उमेश पासवान ग्राम- बसतपुर पो0- भरसपट्टी थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112402029977	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
59	मो0 जियारत अली पिता- मो0 सगीर अली ग्राम+पो0- नारायणपुर थाना- भवानीपुर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112400413753	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
60	अलीशेन असारी पिता- नूरमहम्मद मिया ग्राम- टोला झखरा पो0- झखरा थाना- जगदीशपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112300462501	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

61	सूर्यनाथ सिंह पिता- दशरथ सिंह ग्राम- धोकराहॉ पो0+थाना- इमादपुर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112402021828	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
62	सफीदा खातून पति- मो0 अमीर हमजा ग्राम- गैना पो0- नेहरा थाना- मनीगाछी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112403703019	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
63	केदार गिरी पिता- सिद्धनाथ गिरी ग्राम- जैतपुर मठिया पो0- जैतपुर थाना- दाउदपुर जिला- सारण सीआर नं0- 108112402133171	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
64	मो0 कयूम पिता- मो0 नजीब ग्राम+पो0+थाना- गम्हरिया जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112300210332	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
65	रूना देवी पति- महेश साह ग्राम- बरना वार्ड 06 पो0- बरना थाना- के अस्थान जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112401885772	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत ।
66	मो0 अपफान अली पिता- मौलवी जुल्लुर रहमान ग्राम- कुम्हरा वार्ड 01 पो0- खुदना रूपसपुर थाना- रौतारा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112500041691	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत ।
67	नदनी कुमारी पिता- पवन कुमार शर्मा ग्राम- घोघसा वार्ड 12 पो0- घोघसा थाना- हलसी जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112500235704	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पचीस हजार स्वीकृत ।

68	सुरेद्र पडित पिता- रामचद्र पडित ग्राम+पो0- इनैई थाना- बहेरी जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112500798474	Post Transplan t	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
69	करिश्मा कुमारी पति- रमन जी झा ग्राम- नदगाव वार्ड 08 पो0+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना सीआर न0- 108112500412584	पेट मे पथरी सर्जरी	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
70	सत्येद्र कुमार पिता- स्व0 शिवनाथ प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112300591387	नेत्र रोग Re Sor	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
71	सत्यनारायण सिंह पिता- भागवत सिंह ग्राम- मगुराही वार्ड 11 पो0- भागवतपुर तरौरा थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112403608849	LE Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
72	शम्भू साहू पिता- परमेश्वर साहू ग्राम- सुपौ बाजार हाटगाछी वार्ड 03 पो0+थाना- बिरौल जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112500922701	हृदय रोग डीडीडीआ र	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
73	गोविन्द मोहन पिता- हरिगोविंद दास ग्राम+पो0+थाना- बहेरा जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112300921867	हृदय रोग पीटीसीए	1,25,000	एक लाख पचीस हजार स्वीकृत।
74	मजू देवी पति- सत्रुधन ठाकुर ग्राम- टिकुलिया पो0- लक्ष्मीपुर थाना- मुफसिल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500700971	स्पाइन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पचीस हजार स्वीकृत।
75	उर्मिला देवी पति- मंगल राय ग्राम- बुलदपुर वार्ड 05 पो0- चक शम्भू थाना- महिन्दवारा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112500709714	हीप रिप्लेशमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।

76	तारकेश्वर प्रसाद साह पिता- चन्द्रिका प्रसाद साह ग्राम- मैनही वार्ड 09 पो0- अमही थाना- घोघरडीहा जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112403446334	हीप रिप्लेशमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
77	रजीता देवी पति- विनोद कुमार राम ग्राम- सिंहमा पो0+थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112300117286	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
78	अजू देवी पति- सुरेद्र शर्मा ग्राम- भगवतीपुर वार्ड 01 पो0- नेउरा थाना- शाहपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112402118961	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
79	गुड्डू कुमार पिता- योगेद्र प्रसाद ग्राम- मउ वार्ड 13 पो0- मउ थाना- मोओपी टिकारी जिला- गया सीआर न0- 108112500748892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	मीना कुमारी पति- मुन्ना तिवारी ग्राम+पो0- अकबरपुर थाना- पालीगज जिला- पटना सीआर न0- 108112500936362	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	उर्मिला देवी पति- सत्यनारायण झा ग्राम- बेहट उत्तरी पो0- झझारपुर थाना- आर0एस0 जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112500171561	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
82	हेमा कुमारी पिता- राजा राम सहनी ग्राम- कन्हौली पो0- ब्रह्मपट्टी थाना- बहेडा जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112500519508	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

83	सोनू कुमार केसरी पिता— अनिल कुमार केसरी ग्राम— पचवटी नगर बाजार समिति वार्ड 47 पो0— राजेद्र नगर थाना— बहादुरपुर जिला— पटना सीआर न0— 108112300522164	Post Transplan t	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
84	जयकृष्ण महतो पिता— चंद्रदेव प्रसाद महतो ग्राम— सुखासन उत्तरवारी पो0— सुखासन थाना+जिला— मधेपुरा सीआर न0— 108112500814909	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	रुखिया देवी पति— रामेश्वर नट ग्राम— सुगनी पो0— श्रीरामपुर थाना— परसा जिला— सारण सीआर न0— 108112480195071	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	उमा शंकर सिंह पिता— वौधू सिंह ग्राम+पो0— बकावा थाना— भदौर जिला— पटना सीआर न0— 108112300038858	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			62,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 62,10,000/- (बासठ लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~176874~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0—**503 2011 9556** खाता धारक का नाम—“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इंडियन बैंक, शाखा का नाम—आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलिसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग के वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एरा० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी ।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1215(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196891 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,

नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,

अपोजीट पेट्रोल पम्प,

ककडबाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनीता देवी पति- राजू पासवान ग्राम- दरियापुर फतुहा पो0+थाना- फतुहा जिला- पटना रजि नं0- 2526/3865	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सतीश कुमार पिता- कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ग्राम- कारावों वार्ड 05 पो0- कोरावों थाना- नौबतपुर जिला- पटना रजि नं0- 2526/3541	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			3,15,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,15,000/- (तीन लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक"महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, ककडबाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार



निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 12/6(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196892... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शैलेन्द्र कुमार वर्मा पिता- शिवेश्वर प्रसाद ग्राम+पो०- चाद सराय थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	भुवनेश्वर रजक पिता- स्व० योगेन्द्र रजक ग्राम- गढिया बलुआ पो०- गढिया थाना- के नगर जिला- पूर्णियाँ	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	बिन्दा देवी पति- स्व० नागेन्द्र चौबे ग्राम+पो०- बभनौल थाना- दावत जिला- रोहतास	हृदय रोग एभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
4	राम बिलाश यादव पिता- चरित्र यादव ग्राम- नया टोला दयाचक पो०+थाना- बाढ़ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	सुधेश्वर प्रसाद पिता- स्व० रामचंद्र यादव रहमत नगर इसापुर पो०- फुलवारी शरीफ थाना- फलवारी जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

6	शादाब हुसैन पिता- ताहिर हुसैन ग्राम- झिरवा पुरवारी पो0+थाना- सिमराहा जिला- अररिया	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			7,05,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,05,000 /--(सात लाख पाँच हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196892..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1217(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हर्ष कुमार पिता- अशोक कुमार ग्राम- मोहन चक पो०- अख्तियारपुर थाना- बिक्रम जिला- पटना	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
2	पूनम देवी पति- कृष्णकांत तिवारी ग्राम- सरेया कचहरी टोला पो०- सरेया बाजार थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण	ब्रेन सर्जरी	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अनिशा कुमारी पिता- लालबाबू राय ग्राम+पो०- मोहनी मडल थाना- सुप्पी जिला- सीतामढ़ी	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	सोनू कुमार पिता- राजेदर मडल ग्राम+पो०- पटोरी थाना- सिहेश्वर जिला- मधेपुरा	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	नितेश कुमार पिता- योगेन्द्र शर्मा ग्राम+पो0- खुदवा थाना- खुदवा जिला- औरंगाबाद	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	अनीता देवी पति- सभु चौधरी ग्राम- रामनगर पो0- कुदरकट थाना- छौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण	बोथ नी रिप्लसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	सुमित्रा देवी पति- हरिशकर यादव ग्राम- मिल्की पो0- गोबिन्दपुर थाना- मंसूरचक जिला- बेगूसराय	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
8	राजू कुमारव पिता- नरेश यादव ग्राम- बराह पो0- लहसुना थाना- पुनपुन जिला- पटना	टोटल हीप रिप्लसेमेट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
9	बन्टी कुमार पिता- उदय यादव ग्राम- दादपुर पो0- बिशुनपुरा थाना- युनिवर्सिटी जिला- गया	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	दिनेश कुमार सिंह पिता- जय नारायण सिंह ग्राम- शिवनाथपुर पो0- सिधियाघाट थाना- विभूतिपुर जिला- समस्तीपुर	ड्रामा	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
11	रामजी सिंह पिता- द्वारिका सिंह ग्राम+पो0- लहंग डुमरिया थाना- बिहिया जिला- भोजपुर	Cystoscopy	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
12	रोहित कुमार पिता- सुमन कुमार ग्राम- खोजागाछी पो0+थाना- सिलाव जिला- नालदा	किडनी रोग सीकेडी	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

13	नवल किशोर कुशवाहा पिता- राम चद्र कुशवाहा ग्राम- गोसाई छपरा पो0- बसतपुर पट्टी थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर	किडनी रोग सीकेडी	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	नमन कुमार पिता- अरुण कुमार महतो ग्राम- रजवारा पो0- अरदेवा थाना- तरैया जिला- सारण	Severe Artheritis	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
15	आदित्य कुमार पिता- कृष्णा कुमार यादव ग्राम- जमुआ पो0+थाना- बिहिया जिला- भोजपुर	Bram Stem encephalitis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
16	रमेश कुमार सिंह पिता- शम्भू नाथ सिंह ग्राम+पो0- तेजपुरा थाना- ओबरा जिला- औरंगाबाद	Decompressio n	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
17	रामशोभित राय पिता- राम नरेश राय ग्राम- विजय मदा पो0- मदा थाना- विभूतिपुर जिला- समस्तीपुर	Left Lung Collapse	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
18	परदेशी कुमार पिता- राजो पासवान ग्राम- लाखोचक पो0- बिछवे थाना- किऊल जिला- लखीसराय	एसीएल	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
19	मधुकर आनंद पिता- नन्द लाल साह ग्राम- महारथपुर पो0- बिनोदपुर थाना- मुफ्फसिल जिला- बेगूसराय	एसीएल	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
20	विकाश कुमार पिता- स्व0 जगत प्रसाद गुप्ता ग्राम- स्टेशन रोड खुसरूपुर पो0+थाना- खुसरूपुर जिला- पटना	किडनी रोग एफएसजीएस	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

21	मजू कुमारी पति- अनिल कुमार सिंह ग्राम- कटेसर पो0+थाना- नगरा जिला- सारण	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
22	बिन्दा देवी पति- अच्छेलाल दास ग्राम- बरहरवा उर्फ बिशुनपुर मोहब्बत पो0- बरहरवा थाना- सुष्पी जिला- सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	पूनीता देवी पति- मनोहर यादव ग्राम- मगरौनी वार्ड 04 पो0- ऐना थाना- महिषी जिला- सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मुसाफिर महतो पिता- ब्रह्मदेव महतो ग्राम- चकलहादाद वार्ड 04 पो0- चकलहादाद थाना- वैशाली जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	प्रतीक कुमार सिंह पिता- प्रदीप कुमार सिंह ग्राम- कुरकुरी पो0- फुलवारी शरीफ थाना- फुलवारी जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	निशा देवी पति- बिपिन कुमार पाठक ग्राम- रतैथा वार्ड 01 पो0- रतैथा थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	नविन कुमार ठाकुर पिता- हरिश्चंद्र ठाकुर ग्राम- धकजरी पो0- बघारी थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

28	श्रेया सिंह पिता— सतोष कुमार ग्राम— चकजमाल वार्ड 05 पो0— सहदेई बुजुर्ग थाना—सहदेई जिला— वैशाली	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
29	पतासो देवी पति— बगाली प्रसाद यादव ग्राम— बेरा तेलपा मठिया वार्ड 42 पो0— साहेबगज थाना— नगर जिला— सारण	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
30	धर्म शंकर पांडेय पिता— दिना नाथ पांडेय ग्राम— जगदरा पो0— सोनबरसा थाना— औद्योगिक जिला— बक्सर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
31	सुलेखा कुमारी पति— राहुल कुमार ग्राम— भुई बिगहा वार्ड 03 पो0+थाना— गुरारू जिला— गया	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
32	नीलू देवी पति— चदेश्वर दुबे ग्राम— खराटी वार्ड 08 पो0+थाना— ओबरा जिला— औरंगाबाद	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
33	सोनी देवी पति— दिनेश सहनी ग्राम— नावकोठी वार्ड 06 पो0+थाना— नावकोठी जिला— बेगूसराय	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
34	जुली देवी पति— मुन्ना शर्मा ग्राम— राजेद्र नगर कॉलोनी वार्ड 10 पो0— बहादुरपुर थाना— सबौर जिला— भागलपुर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
35	मानमती देवी पति— नरेश यादव ग्राम— नियामतपुर धुंधुआ वार्ड 08 पो0— खदहा थाना— एन0टी0पी0सी0 जिला— औरंगाबाद	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

36	लखन यादव पिता- गणेश यादव ग्राम- धपरी पो0- रामचरित्र मैदान थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुंगेर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
37	मनोरमा देवी पति- मनोज कुमार ग्राम- चन्दुकुआ वार्ड 04 पो0+थाना- बरबीघा जिला- शेखपुरा	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
38	आशा कुमारी पति- राम एकबाल सिंह ग्राम- ठेघवॉ वार्ड 09 पो0- मझिआव थाना- चरपोखरी जिला- भोजपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
39	शशि कान्त पाठक पिता- स्व0 पशुपति पाठक ग्राम- बिन्दवारा ब्रह्मन टोला पो0- मुंगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुंगेर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
40	राजेंद्र सिंह पिता- विद्या सिंह ग्राम- हरपुर जान पो0- डुमरशन बगरा थाना- मशरक जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
41	बनमंती देवी पति- रामदास महतो ग्राम+पो0- सिझौडी थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
42	सगीता देवी पति- राजेश शर्मा ग्राम- पुरई वार्ड 20 पो0- मस्तिचक थाना- दरियापुर जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
43	आशा देवी पति- नारायण राम ग्राम- हिमगिरि अपार्टमेंट इ0बी0सी0 रोड बोरिंग रोड वार्ड 23 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- एस के पुर जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

44	राजनीति सिंह पिता- बटेश्वर सिंह ग्राम+पो0- महदीपुर थाना- पसरहा जिला- खगडिया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
45	अरुण कुमार सिंह पिता- स्व0 पालतु सिंह ग्राम+पो0- हरपुर बोचहा थाना- विद्यापतिनगर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
46	अहमद हुसैन पिता- तफज्जुल हुसैन ग्राम- पाली पो0- परेओ थाना- बिहटा जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
47	किरण कुमारी पति- सतन कुमार ग्राम- कुसापि वार्ड 11 पो0- महामन्ना थाना- टिकारी जिला- गया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
48	उर्मिला देवी पति- सुरेद्र प्रसाद ग्राम- खुखडी वार्ड 074 पो0- खुखडी थाना-सर्बहदा जिला- गया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
49	अशोक कुमार सिंह पिता- रामदत्त सिंह ग्राम+पो0- सरथुआ थाना- उदवत नगर जिला- भोजपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
50	आभा देवी पति- देवेद्र जी पाडेय ग्राम- गोपालपुर वार्ड 07 पो0+थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
51	रामजडी देवी पति- चद्रभूषण शर्मा ग्राम- मुगिला पो0- शकरपुर इमामगज थाना- खिरमोर जिला- पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

52	मोशरत जहा पिता- मो० नसीमुद्दीन ग्राम- उज्जे पो०- समासपुर थना- बेलागज जिला- गया	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
53	सीता देवी पति- अर्जुन रजक ग्राम- दुधैला वार्ड 09 पो०- भतखण्ड ड्येढी थाना- पसराहा जिला- खगडिया	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
54	रीना देवी पति- मुकलेश साह ग्राम- खपरा वार्ड 03 पो०+थाना- अकोढी गोला जिला- रोहतास	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
55	रम्भा देवी पति- श्याम बिहारी सिंह ग्राम- लक्ष्मीपुर वार्ड 13 पो०- बैरही थाना- आयर जिला- भोजपुर	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
56	बाल्मीकि सिंह पिता- लालसाहेब सिंह ग्राम+पो०- उमेदपुर थाना- ब्रह्मपुर थाना- बक्सर	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
57	अनिरुद्ध शर्मा पिता- बैकुंठ सिंह ग्राम- बुधुगज वार्ड 03 पो०- बंधुगज थाना- घोषी जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
58	ललिया देवी पति- बिरख यादव ग्राम- बदीहुली पो०- अरगा थाना- बहेरी जिला- दरभंगा	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			50,70,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,70,000/- (पचास लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176872 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का

नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

12/8(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30/04/2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नारायण यादव पिता— दारो यादव ग्राम+पो0— ओराबागीचा थाना— धरहरा, जिला— मुंगेर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुनीता देवी पति— सूर्यकांत झा ग्राम— सोहराई, पो0— पंडौल थाना— सकरी, जिला— मधुबनी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	प्रेम महतो पिता— स्व० लक्ष्मी महतो ग्राम— नियर फिश मार्केट दादर मडी वार्ड 57 पो0— गुलजारबाग थाना— आलमगज जिला— पटना	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
4	सौरव कुमार पिता— शंकर यादव ग्राम— बरियाही पो0— सिमरिया घाट थाना— बरौनी जिला— बेगूसराय	हृदय रोग डीवीआर	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
5	शैलेन्द्र कुमार वर्मा पिता— शिवेश्वर प्रसाद वर्मा ग्राम— चाद सजई वार्ड 04 पो0— चाद सजई थाना— जन्दाहा जिला— वैशाली	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

6	रत्नेश कुमार श्रीवास्तव पिता- स्व० जेगया लाल ग्राम- मनियारा पो०- सिकरिया थाना- तियर जिला- भोजपुर	हृदय रोग एवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	मो० कादिर पिता- मो० जमीर उद्दीन खा ग्राम- लक्खी टोला पो०- गरहबनाली थाना- कसबा जिला- पूर्णियाँ	हृदय रोग सीएबीजी	1,25,000	एक लाख पचीस हजार स्वीकृत।
			₹ 7,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,90,000/- (सात लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1219(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सतीश कुमार राय पिता- स्व० राज किशोर नारायण राय ग्राम+पो०- दरबा, थाना- हलई जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी नं०- 3000024907	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	मुन्नी देवी पति- स्व० जगदीश चौधरी ग्राम- गौशाला कटिहार पो०- कटिहार थाना- सहायक जिला-कटिहार यूएचआईडी नं०- 3000570895	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	सुशील यादव पिता-प्रेम लाल यादव ग्राम-चरैया पो०-खुटहा बैजनाथपुर थाना-भरगामा, जिला अररिया यू०एचआईडी-3000563443	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	किरपा देवी पति-खेदु महतो ग्राम-फुलवरीया चौक वार्ड 03 पो०+थाना-हसनगज जिला-कटिहार यू०एचआईडी-3000568323	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	धर्मवीर प्रसाद पिता-जुगल प्रसाद ग्राम+पो० मीरनगर थाना-सरमेरा जिला नालदा यू०एचआईडी-3000566318	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	साइस्ता बेगम पति-मो० नसीरउद्दीन ग्राम नयपति बिस्तरिया वार्ड 11,पो०-बिस्टोरीया जगता थाना-रानीगज जिला-अररिया यु०एचआईडी-3000570266	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव पिता-चदेश्वर प्र० श्रीवास्तव ग्राम-टलवा पोखर वार्ड 07 पो०-टलवा पोखर थाना-कोटवा जिला पूर्वी चम्पारण यु०एचआईडी-3000571120	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	सगीर आलम पिता-सलीम मिया ग्राम-पानापुर सिलोथर वार्ड 02 पो०-कालापहाड थाना-जन्दाहा जिला वैशाली यु०एचआईडी-3000570822	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	बबली कुमारी पिता-किशोरी राम ग्राम-विजय बिगहा बडकी डेल्हा, वार्ड 02, पो०-रेलवे स्टेशन थाना-देलाहा जिला-गया यु०एचआईडी-3000333294	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	नजीबुर रहमान पिता-हबीबुर रहमान ग्राम-मरधिया हाकिम टोला 10 पो०-मरधिया थाना-बरारी जिला-कटिहार यु०एचआईडी-3000559339	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			5,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,40,000/- (पाँच लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176872... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०-HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1220(14)

पटना, दिनांक 07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196892...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुकेश कुमार सिंह पिता- प्रभुनाथ सिंह ग्राम- आकुचक पो0- राजधानी थाना- तरैया जिला- सारण	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	शिव शंकर सिंह पिता- राम पति सिंह ग्राम- परसिया पो0- करमहरी थाना- कुढनी जिला- कैमूर भभुआ	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लोर ओजोन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृति/आदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी

है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1221(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196872 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सर्जाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राधिका कुमारी पिता— राजीव कुमार ग्राम— नान्दीपट्टी पो०— बेनीपुर थाना— बहेडा जिला— दरभंगा	प्लास्टिक सर्जरी	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
2	कुंदन कुमार पिता— राम प्रवेश यादव ग्राम— बारमोतर पो०— खोरमा थाना— मरौना जिला— सुपौल	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	ममता देवी पिता— स्व० परमानन्द झा ग्राम— हरपट्टी पो०— लहेरियासराय थाना— बहादुरपुर जिला— दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
4	सुरेश मडल पिता— स्व० भोला मडल ग्राम— शिवनगर पो०— करियन थाना— रोसडा जिला— समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।

5	जगत नारायण ठाकुर पिता— स्व० रामनारायण ठाकुर ग्राम— चिचरी कानून गो थाना— राजनगर जिला— मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
			₹ 3,65,000 /—	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,65,000 /— (तीन लाख पैंसठ हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **196892** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०—38022630797 खाता धारक का नाम—**सरार्फ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर** खाते का प्रकार— बैंक का नाम— **स्टेट बैंक आफ इंडिया**, शाखा का नाम—**डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा**, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक **1222(14)**

पटना, दिनांक **07/5/2025**

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० **196892** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

1223 (14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक 07/5/2025

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	धनिता देवी पति- अमरनाथ राय ग्राम- यदुरामपुर पो0- मस्तीचक थाना- दरियापुर जिला- सारण	हृदय रोग बीएमवी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	अयोध्या प्रसाद पिता- स्व० दुलारचंद साव ग्राम+पो0+थाना- तेलहाडा जिला- नालदा	पेट एंव आत रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अनिता देवी पति- दिनेश माझी ग्राम- रिविलगज दुसाद टोली पो0+थाना- रिविलगज जिला- सारण	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,70,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 1,70,000/- (एक लाख सत्तर हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबंगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

४

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधि मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करे।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1223(14)

पटना, दिनांक 07/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं०. 196892 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्ण नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मजूम सिन्हा पिता- गिरीश कुमार सिन्हा ग्राम- सूरज भवन देवी सीन लेन वेस्ट चिरयांटाड पो०+थाना- फुलवारी जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	मनोरमा देवी पति- रणधीर शर्मा ग्राम- बरूरी, पो०- कुरारी थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	मेजर स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	रिसव कुमार पिता- रौशन कुमार ग्राम- बनगच्छा पो०+थाना- तेलमर जिला- नालंदा	Surgery (Circumcision)	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	रौशन कुमार पिता- विलाश केवट ग्राम- सिकरीपर पो०- बारा, थाना- वेन जिला- नालंदा	RIRS+ DJ stenting	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	गिरजा शंकर पिता- स्व० विन्दा प्रसाद ग्राम- मठिया जिरत पो०- मोतीहारी थाना- छतौनी जिला- पूर्वी चम्पारण	ड्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

6	गोपाल शरण सिंह पिता- चन्द्रिका सिंह ग्राम- बदहर, पो0- सुरुगापुर थाना- कल्पा जिला- जहानाबाद	हृदय रोग Post CAG-TVD, Post PTCA+s to LV-LAD and LCX	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			5,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु0 5,70,000/- (पाँच लाख सत्तर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196892 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अंदर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1224(14)

पटना, दिनांक

05/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक .

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04 2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रश्मी देवी पति- नागेन्द्र ठाकुर ग्राम+थाना- खुटहा थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176892... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1225(14)

पटना, दिनांक 07/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196891 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई0-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिवनारायण साव पिता- मिश्री साव ग्राम- कुडवा पो0- नौडीहा थाना- महकार जिला- गया	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शकुतला देवी पति- लक्ष्मीकांत राय ग्राम- रघुनाथपुर इमादपुर पो0- इमादपुर थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	फिरोज अहमद पिता- मो० मंजूर आलम ग्राम- प्रतापपुर वार्ड 06 पो0- उदन्त राय के बगरा थाना- माझागढ़ जिला- गोपालगंज	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			2,85,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,85,000/- (दो लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का

प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 पत्रकार नगर, कंकडबाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1226(14)

पटना, दिनांक 07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकडबाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेणु कुमारी पति- शकर शर्मा ग्राम- नेतौल पो0- खलिदाबाद नेतौल थाना- कादिरगज जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 440720110000219 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पीटल प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1227(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176894 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	भरत कुमार महतो पिता- ललन प्रसाद महतो ग्राम- भुस्की पो०- मादवा परसी थाना- मटियरिया जिला- पश्चिम चम्पारण	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	मो० शमिम पिता- मो० शम्सुद्दीन ग्राम- मौलाबाग कर्बला रोड पो०- फुलवारी शरीफ थाना- फुलवारी जिला- पटना	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	प्रयदर्शिनी कुमारी पति- सचिदानन्द साह ग्राम- रामपुर वार्ड 01 पो०- रामपुर थाना- सौरबाजार जिला- सहरसा	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	सीता देवी पति- अजय चौधरी ग्राम- डाटा कम्बल शाह मजार पो०- रमना थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

5	सज्जन मुखिया पिता- कुलदेव मुखिया ग्राम- गौरीपुर पो0+थाना- सिहेश्वर जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
6	सुहाना कुमारी पति- विकाश कुमार ग्राम- सदरगढ पो0+थाना- बिहार शरीफ जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	शिवनाथ साह पिता- स्व0 छटु साह ग्राम- माझा लगटूहाता पो0+थाना- मांझागढ जिला- गोपालगज	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
8	कमलेश पासवान पिता- ईश्वर पासवान ग्राम- इस्माइलपुर पो0- मालदह थाना- बरबीघा जिला- शेखपुरा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	पप्पु चौधरी पिता- दुखन चौधरी ग्राम- टीचर कॉलोनी ट्रासपोर्ट नगर कुमहरार पो0- बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	हरिशकर श्रीवास्तव पिता- राजबशी लाल ग्राम- बनवारी बसत पो0- बसत थाना- गरखा जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	विमल देवी पति- रमेश कुमार सिंह ग्राम- सहरसा पो0- गम्हारी थाना- उपहारा जिला- औरंगाबाद	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
			5,45,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,45,000/- (पाँच लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का

नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1228(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196872 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कृष कुमार पिता- सुजीत कुमार ग्राम- लल्लू बाबू का कूचा पटना सिटी पो0- बेगमपुर थाना- चौक जिला- पटना	ट्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	सुकू कुमार पिता- विजेन्द्र कुमार ग्राम- गजपर उस्मानपुर पो0+थाना- अथमलगोला जिला- पटना	ट्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
3	अंकित कुमार पिता- चदेश्वर ठाकुर ग्राम- बेसी बैजनाथ पो0+थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर	ट्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	रोहित कुमार पिता- स्व० खखनु गोप ग्राम- अमर पुर पो0- झाउगज थाना- मेहदीगज जिला- पटना	हीप रिफ्लेशमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
5	रौशन पडित पिता- श्यामलाल पडित ग्राम- बाई मर्ची मर्चा पो0- मर्ची थाना- दीदारगज जिला- पटना	Polytraum	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,55,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रु० 3,55,000/- (तीन लाख पचपन हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 33569032861 खाता धारक का नाम-“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल ” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0001496 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1230 (14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक स0 176892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

४

सं०सं०'14 / एम-11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक..... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ऋषभ कुमार सिंह पिता- जयराम सिंह ग्राम+पो०- मसाढ थाना- उदवत नगर जिला- भोजपुर	ट्रामा	55,000	पचपन हजार स्वीकृत।
2	पवन कुमार चौधरी पिता- केशवर चौधरी ग्राम- बुद्धा कॉलोनी पो०- जी० पी० ओ० गोलम्बर थाना- बुद्धा कॉलोनी जिला- पटना	हेपेटाइटिस बी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	रामचंद्र शर्मा पिता- स्व० सुखदेव शर्मा ग्राम- बडहुलिया हाता पो०- बडहुलिया थाना- आन्दर जिला- सिवान	Anmular Pancreas	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	हिरा लाल गोड पिता- स्व० लाल बहादुर गोड ग्राम- बृजनारायणपुर पो०- चादमारी थाना- शाहपुर जिला- पटना	ट्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।

5	अंशु देवी पति- राधेश्याम बिद ग्राम- केनरकला पो0- चन्द्रकाँथि थाना- चेनारी जिला- रोहतास	Laparotomy with ileocolic anastomosis	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1231 (114)

पटना, दिनांक

05/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एडं रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.

विषय.— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेखा देवी पति— रामचंदर विश्वकर्मा ग्राम— असनी पो०— बलिया थाना— गुरारू जिला— गया केस फाईल न०— 18एफ2024/011097	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	साक्षी कुमारी पिता— विवेक कुमार ग्राम— सेनुआरिया पो०— कटिया मठिया थाना— कगली जिला— पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०— 19एफ2025/001668	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सुजाता कुमारी पति— सजय कुमार शर्मा ग्राम— सत्सग गली आमगोला पो०— रमना थाना— काजी मोहम्मदपुर जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2024/003693	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राज कुमारी देवी पति— लखि पासवान ग्राम— बाजितपुर पो०— अनंत कमतौल थाना— कुढनी जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2023/003797	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	शभु शरण साह पिता- गुरु चरण साह ग्राम- जगदीशपुर बघनमरी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- केडी/80060	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
6	कुशेश्वर सिंह पिता- पलट सिंह ग्राम- हथलेटवा पो0- कमलाबाडी थाना- जयनगर जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 19एफ2025/000584	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	वदना कुमारी पिता- हिमाशु कुमार ग्राम- सिलौत बासुदेव पो0- सुस्ता महमदपुर थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2023/003419	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
8	मीना देवी पति- सुरेश कुमार श्रीवास्तव ग्राम- चिन्तामनपुर बाजार टोला पो0- चिन्तामनपुर थाना- पीपरा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- सीयू/21506	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			5,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 196891 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम- "होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1232(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशियन सिटी अस्पताल
पी० एम मॉल, पाटलीपुत्रा
इंडस्ट्रीयल ऐरिया
पटना 800013

पटना, दिनांक.. . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनू कुमार पिता- राजेश्वरी सिंह ग्राम- सलेमपुर पो०+थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय	ई० एन० टी० सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	शगुपता परवीन पिता- वैजुल हक ग्राम- महत्वना मोहल्ला पो०- फुलवारी शरीफ थाना- फुलवारी जिला- पटना	क्रोनिक किडनी रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 90,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 90,000/- (नब्बे हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-020384600000324 खाता धारक का नाम BLUE SAPPHIRE HEALTH CARES PVT.LTD. Payable at Patna खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- YES BANK शाखा का नाम यश बैंक लि०, ग्राउंड फ्लोर ए-11/33 अलकार सिनेमा रोड, लाजपत नगर-II नई दिल्ली-110024 RTGS/IFSC कोड स० YESB0000203 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करे।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की

राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1233(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0- 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शीला देवी पति- छोटेलाल रजक ग्राम- मदन लाल जैन गली पो0- लोहियानगर थाना- कंकड़बाग जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुमीजा खातून पति- मो० अफजल हुसैन ग्राम- चितौरिया पो०- बासगढी थाना- मनसाही जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	विपीन यादव पिता- कपिलदेश यादव ग्राम- महातपुर वार्ड 08 पो०- धानर थाना- चन्द्रदीप जिला- जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	बिजेद्र राय पिता- रामदेव सिंह ग्राम- धरफरी वार्ड 15 पो०- धरफरी थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000 /-(तीन लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर” खाते का प्रकार—चालू , बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1229(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है –

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजमुना देवी पति- स्व० राम निवेश साह ग्राम- समरडीहा वार्ड 04 पो०- पिपरा थाना- करगहर जिला- रोहतास	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196872 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम . RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1234(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 176894 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई सी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

8

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	गणेश शर्मा पिता- शिवबारात शर्मा ग्राम- पतौना पो०- सिद्धिरपुर थाना- पालीगज जिला- पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड स० UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।

6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

7 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1236(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
शेखर आई कैयर एंड लेजर सेंटर
राजीव नगर रोड न०-०,
नाला पर आशियाना
पाटलीपुत्रा मार्ग केसरी नगर
पटना-800024

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम नरेश राय पिता-स्व० राम स्वरूप राय ग्राम-अमनाबाद कटेसर पो०-कटेसर थाना-बिहटा जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	दीनानाथ शर्मा पिता-स्व० रामानन्द शर्मा ग्राम-गोपालपुर पो०-महमदपुर थाना-बिक्रम जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	कामेश्वर पासवान पिता-भगवान पासवान ग्राम-दरियापुर पो०-नेवरा थाना शाहपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	राजन राय पिता-जवाहर राय ग्राम-आनदपुर पो०-आनदपुर थाना-बिहटा जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	गिरजन पासवान पिता-मन्नु पासवान ग्राम-दरियापुर पो0-नेउरा थाना-शाहपुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
6	चनेसर राय पिता-अरग राय ग्राम-बिशुनपुर पो0-माधोपुर थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	राज कुमार राय पिता-शिव दयाल राय ग्राम+पो0-हुलासी टोला थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	अदालत राय पिता-जमुना राय ग्राम-आनदपुर पो0-आनदपुर थाना-बिहटा जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	बैजु राय पिता-सरीखान राय ग्राम-बिशुनपुर पो0-माधोपुर थाना-दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	रमागवार राय पिता-कपुरी राय ग्राम-'अमनाबाद पो0-कटेसर थाना-बिहटा जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	अर्जुन साव पिता-बासुदेव साव ग्राम-गीआस्पुर पो0+थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	प्रेमधर राय पिता-भगवान राय ग्राम-धौरदार रोड पो0 दीघा थाना दीघा जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

13	बच्चू देवी पति-बसंत लाल ग्राम-राजीव नगर पो0-केशरी नगर थाना-राजीव नगर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
14	लाल मुन्नी देवी पति-राज बिहारी साव ग्राम-बिशनपुर माधोपुर पो0-माधोपुर थाना-दानापुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	वीरबल रजक पिता-धनपत रजक ग्राम-मानस नया पानापुर पो0-मानस थाना दानापुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	दहरी राय पिता-खरून राय ग्राम+पो0-शेरपुर थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	धर्मनाथ राय पिता-गिरजा राय ग्राम-इलखोरियाचक पो0-कटेसर थाना-बिहटा जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	दाईमुनी राम पिता-सीता राम प्रसाद ग्राम-इन्द्रपुरी पो0-केशरी नगर थाना-पाटलीपुत्रा जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	राम प्रवेश पासवान पिता-साधु पासवान ग्राम-दरियापुर पो0-नेउरा थाना-शाहपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	रमपतिया देवी पति-जगदीश राय ग्राम+पो0-आनदपुर थाना-बिहटा जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

21	शांति देवी पति—अरविन्द सिंह ग्राम—इंद्रपुरी पो0—केशरी नगर थाना—पाटलीपुत्र जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	मालती देवी पति—श्रीराम राय ग्राम—बिश्नुपुर पो0—माधोपुर थाना—दानापुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
23	रामदेई देवी पति—राजा पासवान ग्राम—दरियापुर पो0 नेउरा थाना—शाहपुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	काती देवी पति—बृज कुमार सिंह ग्राम—अमनाबाद कटेसर पो0—कटेसर थाना—बिहटा जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	फुलनी देवी पति—योगेन्द्र रजक ग्राम—गगहरा पो0 गगहरा थाना—शाहपुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	लखिया देवी पति—राम बास राय ग्राम—सुअरमरवा पो0—पतीला थाना—मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/— (दो लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0—30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0—291311100000760 खाता धारक का नाम— SHEKHAR EYE CARE AND LASER CENTRE खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम— BAILEY ROAD, RTGS/IFSC कोड सं0—UBIN0829137 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करे।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- 7 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

जापाक 1237(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
वेदान्ता सेटर फार अप्थैलमिक साईंस,
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,
नीयर पासपोर्ट आफिस
आशियाना दीघा रोड,
पटना -800014

पटना, दिनांक-

विषय - मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रीता देवी पति-सिकंदर पासवान ग्राम-गौहरपुर पो0-कोठिया थाना-दीदारगज जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रवि शंकर पासवान पिता-विष्णु दयाल पासवान ग्राम-गौहरपुर पो0-कोठिया थाना-दीदारगज जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सोना देवी पति-उमेश पासवान ग्राम-गौहरपुर पो0-कोठिया थाना-दीदारगज जिला पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	लक्ष्मी ठाकुर पिता-स्व० राम बाबु ग्राम-गौहरपुर पो0-कोठिया थाना-दीदारगज जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	मो० कासिम पिता-अब्दुल गणी ग्राम-सैयदाना पो०-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारी जिला-पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
6	नसरीन खातुन पति-मो० सरफराज असारी ग्राम-खाजपुरा पो०-बी०भी० कालेज थाना-एयरपोर्ट जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	मो० रियाजुद्दीन पिता-सेराजुद्दीन ग्राम-गणेश लाल रोड दीघा घाट पो०+थाना-दीघा जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	उर्मिला देवी पति-निर्मल कुमार गुप्ता ग्राम+पो०-रघुनाथपुर थाना-ब्रहापुर जिला-बक्सर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	जन्मेजय मिश्रा पिता-शिव जन्म मिश्रा ग्राम+पो० साधपुर थाना-गरखा जिला सारण	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	मो० कैशर पिता-मो० हनीफ ग्राम-मीठा कुआँ काको पो०+थाना-काको जिला-जहानाबाद	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440030110000048 खाता धारक का नाम-"वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस " खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-पटना मेन ब्रांच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004400 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे। इसे अत्यावश्यक समझा जाय। एक रोगी को एक ही बार प्राक्कलन निर्गत किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1238(14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नवरतन माझी पिता-ननक माझी ग्राम-तिनेरी पो०-नदौल थाना-मसौड़ी जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	अखिलेश प्रसाद पिता-राम कृपाल प्रसाद ग्राम-गेलहा बिगहा पो०-रेवान थाना-मसौड़ी जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	भदसी देवी पति-शिव वरात माझी ग्राम-तिनेरी पो०-नदौल थाना-मसौड़ी जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	गोरा माझी पिता-झपसी माझी ग्राम+पो०-रेवान थाना-मसौड़ी जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	राम प्रवेश माझी पिता-मुसाफिर माझी ग्राम-तिनेरी पो०-नदौल थाना-मसौड़ी जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	सुन्दरी देवी पति-अखिलेश प्रसाद ग्राम-गेलहा बीगहा पो0-नदौल थाना-मसौडी जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	श्याम नारायण सिंह पिता-लक्ष्मण सिंह ग्राम+पो0-एकौना थाना-उदवत नगर जिला-भोजपुर	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	राज मुनो देवी पति-बिहारी सिंह ग्राम-तबकला पो0-सकरी थाना-परासी जिला अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	कुसुम देवी पति-बैजनाथ साव ग्राम+पो0-परासी थाना-परासी जिला-अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	उर्मिला देवी पति-रामावतार प्रसाद ग्राम+पो0-परासी थाना परासी जिला-अरवल	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	यदुनदन पासवान पिता-रामेश्वर पासवान ग्राम-परशुरामपुर पो0+थाना-परासी जिला-अरवल	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	पानपती देवी पति-जानकी यादव ग्राम-मनी बीगहा पो0+थाना-जहानाबाद जिला-जहानाबाद	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	दुलारी देवी पति-लोहडी माझी ग्राम-सोलहडा पो0+थाना-जहानाबाद जिला जहानाबाद	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,30,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0

50200021671321 खाता धारक का नाम— BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— HDFC BANK, शाखा का नाम— Patliputra Branch, Kurji (Patna), RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0002643 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1239 (14)

पटना, दिनांक 07/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/5/25
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि पुज आई आस्पताल प्रा० लि०,
नोर्थ ऑफ रूपसपुर नहर ओवर ब्रिज,
विश्वेश्वरैया नगर, नियर गोला रोड पेट्रोल पम्प,
बेली रोड, पटना- 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	जीना मुर्मू पिता- पलटू मुर्मू ग्राम- निपनिया पो०- दुधारी थाना- बाका जिला- बाका	कैंटरेट सर्जरी	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176892 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 59207070084444 खाता धारक का नाम-DRISHTIPUNJ EYE HOSPITAL Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम HDFC BANK, शाखा का नाम Saguna More Branch, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

८

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह० / --

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1240 (14)

पटना, दिनांक

07/5/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176892 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवशी नगर,
पटना-800023 ।

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 30.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सदन राय पिता- लालबाबू राय ग्राम+पो0- साहवा थाना- इसुआपुर जिला- सारण	हीप रिप्लेशमेंट	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
			1,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०. 176871 मूल रूप में सलग्न
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०-30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0

बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को माह के अंदर वापस किया जाय।

7 पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1235 (14)

पटना, दिनांक

07/5/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख